

## कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति विषिष्ट श्रेणी (अनाज) कोटा

क्रमांक :- २०१०

दिनांक :- २९-०१-२०२५

सेवा में,

उप वन संरक्षक,

नयापुरा, कोटा

प्रसंग :- क्रमांक 46193 दिनांक 19 6 23

के जवाब के क्रम में।

प्रस्ताव का नाम :- LAND FOR EXTENTION OF BHAMASHAH KRISHI MANDI SAMITI

यूजर एजेन्सी का नाम :- KRISHI UPAJ MANDI SAMITY KOTA


प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र :- 96.00 Hac.

प्रस्तावित जिला एवं वनमण्डल :- Kota District and kota Division

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि :- FP/RJ/Others/20036/2016 29.06.2016

1	The proposed diversion of forest land is for a non-site specific project. As per DSS analysis, it is noticed that non-forest land is available near the proposed forest land for diversion. A copy of the Map is enclosed for ready reference. Therefore, the State Govt. shall submit justification for not locating the project in non-forest areas and explore the available non-forest land for the project.	The proposed diversion of forest land is for a site specific project. Because the Krish Upaj Mandi is situated in the middle of the city and huse infrastructure and investment is already done by govt. Of rajasthan the existing krishi mandi and proposed diversion land is surrounded by in North side indraprastha industrial area and other sit proposed forest land also in East side there is a railway line , in south site just after the proposed side there is a National Highway no. 76 and in West there is a forest land there for it is a site specific project and no other alternative land is available other then forest
2	In the recommendations of the Nodal Officer and the State Government, it has been mentioned that the proposal may be accepted for approval subject to the condition that the Hon'ble Supreme Court has given direction in the FCA proposal Development of NH 76 East West Corridor in Kota District (Final sanctioned on 6.7.2007) to maintain green belt on both the sides of the Kota bypass up to 1 km. In this regard an unconditional recommendation is required from the State Government.	That as per report of to different time posted DFO has already send the report that the land is not sutiable for plantation in any manners because the surface soil contents is 0 fully rocky area and also near population there for in this condition plantation can not be possible but just after few meters the forest land is available for plantation .as per recommendation of both DFO the proposed land is recommended for proposed diversion
3	The State Government shall clarify as to how the Govt. of India can relax the condition imposed by the Hon'ble Court order dated 08.12.2006. The clarification along with the certified copies of the CEC recommendation dated 30.11.2006, Hon'ble Supreme Court Order dated 08.12.2006 and all other relevant details pertaining to the project shall be furnished.	That as per report of to different time posted DFO has already send the report that the land is not sutiable for plantation in any manners because the surface soil contents is 0 fully rocky area and also near population there for in this condition plantation can not be possible but just after few meters the forest land is available for plantation .as per recommendation of both DFO the proposed land is recommended for proposed diversion
4	The detail of existing area of Krishi Upaj Mandi along with legal status of the said 8-18/2023-FC I/46193/2023 land is not available which shall be furnished.	The existing Krishi upaj mandi was allotted by RIICO in inderprata industrial area kota which was allotted to riico by collector Kota in long back and in due process of law the land was firstly allotted by distt. Collector to Riico and there after the krishi upaj mandi purchase this industries land from RIICO Krishi upaj Mandi
5	The State Govt. shall provide a NOC from National Highway Authority of India (NHAI) for the area of NHAI proposed to be utilized in the instant proposal.	NOC attached kirshi upaj mandi samiti and krishi upaj mandi is under take to work as per norms of existing law
6	The State Government shall clarify as to why the conditions stipulated in FC approval letter No.8-13/2006-FC dated 06.07.2007 have not been complied even after completion of more than 15 years. It shall also confirm whether any request for modification in stipulated conditions in the approval dated 06.07.2007 was made earlier to Central Govt., if so, the details in this regard shall be provided. If not, then the justification for informing at this belated stage that the land is not suitable for plantation/green belt development shall be	The existing Krishi upaj mandi was allotted by RIICO in inderprata industrial area kota which was allotted to riico by collector Kota in long back and in due process of law the land was firstly allotted by distt. Collector to RIICO and there after the krishi upaj mandi purchase this industries land from RIICO Krishi upaj Mandi

	submitted. The person/official responsible for not complying with the direction of Hon'ble Court shall also be furnished	
7	As per the DSS analysis and the examination of the KML file, the proposed CA land is overlapping with the CA land of approved project i.e. Navnera Barrage (FP/RJ/IRRIG/35905/2018). Therefore, the correct KML of CA land shall be uploaded on PARIVESH for examination and analysis.	Krishi upaj mandi samiti file is application for allotment of CA Land of 96 Hac. And same total 96 hac. CA land was allotted to KUMS and CA land of approved project i.e. Navnera Barrage (FP/RJ/IRRIG/35905/2018). Is different khasara no. And KML File of Guraytha Village is different KhSARA NO. AND VERIFY After conson tahsildar , nayab talsildar and patwari . as per they report enclosed here .latter no. 101 date 11.1.2024 and report enclosed here with.
8	The KML file of the DFL proposed for accommodating the balance seedlings has not been uploaded on PARIVESH. The same needs to be uploaded for further examination	uploaded
9	Violation has been reported over an area of 24.06 ha, however the detailed Action Taken Report and the present status of same has not been provided, which shall be submitted. It has been mentioned that an FIR was lodged in the year 1996 but no action appears to have been taken further by the State Govt. The reasons/justification for the same shall be submitted. The official responsible for violation and action taken against them shall also be furnished	That Due to The existing Krishi upaj mandi was allotted by RIICO in inderprasta industrial area kota which was allotted to riico by collector Kota in long back and in due process of law the land was firstly allotted by distt. Collector to RIICO and there after the krishi upaj mandi purchase this industries land from RIICO Krishi upaj Mandi
10	As per the available KML file, the area under violation is 27 ha whereas the State Government has reported the same as 24.06 ha. The same shall be verified and factual position be submitted.	As per revenue map the total area under violation 24.06ha. which is available on revenue record and verified by the forest surveyour and concern halka patwari of revenue department moka report enclosed
11	As per DSS analysis, the Umdeganj Bird sanctuary is located at a distance of 2.96 Km from the proposed forest land for diversion. The Status of ESZ and comments of CWLW in this regard shall be furnished.	NOC attached krishi upaj mandi samiti and krishi upaj mandi is under take to work as per norms of existing law
12	As per DSS analysis (copy enclosed), certain anomalies have been observed in component wise detail given in the proposal and the area as per the KML file. Therefore, the correct KML file as per proposed component wise utilization of forest land shall be uploaded on PARIVESH.	Corrected KML File is uploaded on parivesh site
13	Satellite imagery shows the presence of built-up area, mined out area etc. within the proposed forest land for diversion. This needs clarification.	No mining activities was done by krishi upaj mandi samiti as the area is fully rocky there for theft of stone by local people in easy way the construction area is existing only the land which is purchase form RIICO
14	As per DSS analysis, a Nallah is flowing through middle of the proposed forest land for diversion. Further, no protection measures for the Nallah have been suggested in the proposal. Therefore, comments of the Water Resource 8-18/2023-FC I/46193/2023 Department of the State on the efficacy of water discharge needs submission.	NOC attached krishi upaj mandi samiti and krishi upaj mandi is under take to work as per norms of existing law
15	A transmission line is passing through the land proposed for diversion. Therefore, a copy of approval under the FCA, 1980 for the said transmission line along	NOC attached krishi upaj mandi samiti and krishi upaj mandi is under take to work as per norms of existing law

  
 (जवाहर लाल नागर)  
 सचिव,  
 कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा

प्रत्यावर्तन प्रस्तावित किया गया जिस हेतु



## कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्य जीव कोटा (राज.)

जे.के.पेवेलियन, अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम के सामने, नयापुरा, कोटा Phone No./ 0744-2321263  
Mail ID 1- dcfwl.kota.forest@rajasthan.gov.in- 2- dcfwl232@gmail.com

क्रमांक : एफ 08 (05)अभेडा/उवस./वजी/2023-24/3920  
निमित्त : सचिव  
कृषि उपज मण्डी (अनाज)  
विशिष्ट श्रेणी कोटा

दिनांक : 21-8-23

विषय : LAND FOR EXTENTION OF BHAMASHAH KRISHI MANDI SAMITI RAJASTHAN  
(PROPOSAL NO. FD/RJ/OTHERS/20036/2016)

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक 883 दिनांक 13.07.2023 एवं 1069 दिनांक 16.08.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से आप द्वारा प्रस्ताव संख्या (PROPOSAL NO. FD/RJ/OTHERS/20036/2016) मय संलग्नक कृषि मण्डी विस्तार हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर 96.00 हैक्टेयर भूमि डाईवर्जन हेतु प्रस्ताव एफ.सी डिवीजन नई दिल्ली को प्रेषित किया गया था। उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में उनके द्वारा उम्मेदगंज पक्षी विहार जिससे उक्त क्षेत्र की दूरी 2.96 किलो मीटर अवगत कराते हुये इस कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

उक्त के क्रम में निवेदन है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी अभेडा बायोलॉजिकल पार्क, कोटा द्वारा सम्बन्धित स्थल का मौका मुआयना कर आप द्वारा बिन्दु संख्या 10 से प्रेषित जी.पी.एस कॉर्डिनेट्स N 25°6'42.46" E 75°53'15.89" से उम्मेदगंज पक्षी विहार कन्जर्वेशन कोटा के निकटतम बिन्दु की सीमा के जी.पी.एस 25°6'21" 75°54'58" से उक्त क्षेत्र की दूरी 2.9 किलो मीटर बाहर की ओर स्थित है। प्रस्ताव के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(सुनील गुप्ता)  
उप वन संरक्षक,  
वन्य जीव, कोटा

क्रमांक : एफ 08 (05)अभेडा/उवस./वजी/2023-24/

दिनांक :

प्रतिलिपि : मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व, कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,  
वन्य जीव, कोटा

Signature valid

Digitally signed by Sunil Gupta  
Designation : Deputy Conservator  
Of Forest  
Date: 2023.08.21 12:29:59 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4546008

V:\Digi\GOV\Rajasthan\FileSystem\DMSSStore\Digi\GOV\Intranet\PDF\4546008\_1276853344857925364.docx



# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

## National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई

ए-504, इन्द्रा विहार, कोटा (राजस्थान)-324005

**Project Implementation Unit**

A-504, Indra Vihar, Kota (Rajasthan)-324005

दूरभाष/ Phone : 91-744-2406315

91-744-2980181

ई-मेल/ E-mail : [kota@nhai.org](mailto:kota@nhai.org)

[kotapiu@gmail.com](mailto:kotapiu@gmail.com)

290120/2023-कोटा/भामाशाह मण्डी/8469

दिनांक: 16.08.2023

सचिव महोदय,

कृषि उपज मण्डी (अनाज)

विशिष्ट श्रेणी, कोटा

विषय: Land for Extension of Bhamashah Krishi Mandi Samiti Rajasthan (Proposal No. FD/RJ/OTHERS/20036/2016 - reg.

- संदर्भ: 1. आपका पत्र क्रमांक 884 दिनांक 13.07.2023  
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 8320 दिनांक 25.07.2023  
3. पर्यवेक्षण सलाहकार मै. एल.एल. मालवीय इन्फ्रा प्रो. प्रा.लि. का पत्रांक 773 दिनांक 09.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र दिनांक 13.07.2023 (संदर्भ-1) से आप द्वारा भामाशाह मण्डी विस्तार हेतु एन.एच. 27 बाईपास के समीप 96 हैक्टेयर भूमि के डायवर्जन/कनवर्जन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनापत्ति चाही गई थी।

2. उक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 (संदर्भ-2) से उक्त सड़क अनुभाग पर नियुक्त पर्यवेक्षण सलाहकार मै. एल.एल. मालवीय इन्फ्रा प्रो. प्रा.लि. को उक्त प्रकरण की जाँच कर वस्तुस्थिति रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात पर्यवेक्षण सलाहकार के पत्र दिनांक 09.08.2023 (संदर्भ-3) से अवगत कराया गया है कि कृषि उपज मण्डी का विस्तार करने में कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त स्थान भाराराप्रा के एन.एच.27 कोटा बाईपास सेक्शन पर है जिसका मार्गाधिकार (ROW) 60 मीटर है (मार्ग के दोनो तरफ मध्य रेखा से 30-30 मीटर)। अतः कृषि उपज मण्डी का विस्तार कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मार्गाधिकार के बाद आईआरसी-73 के अनुसार ही मार्ग की मध्य रेखा से 75 मीटर के बाद से ही किया जाना सुनिश्चित करें तथा साथ ही लेख है कि भाराराप्रा के एन.एच. 27 पर पहुंच मार्ग के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा निर्देश दिनांक 26.06.2020 अनुसार 4 सेट में प्रस्ताव प्रस्तुत कर, ऑनलाईन आवेदन कर, अनुमति प्राप्त करना वांछनीय है।

पत्र सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

भवदीय

(ज.पी. गुप्ता)

महाप्रबंधक (तक) सह

परियोजना निदेशक





# RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED

[Corporate Identity Number (CIN): U40109RJ2000SGC016485]

Regd. Office: Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur-302005

**RVPN**

An ISO 9001:2015  
Certified Company

## OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER (T&C)

Sakatpura, KOTA Tel. No. 07442370084

E-mail: [se.tnc.kota@rvpn.co.in](mailto:se.tnc.kota@rvpn.co.in) website: [www.http://energy.rajasthan.gov.in/rvpnl](http://energy.rajasthan.gov.in/rvpnl)

No.RVPN/SE/T&C/F.

/D. 548

Kota, Dated 14-08-2023

सचिव महोदय जी  
कृषि उपज मंडी (अनाज)  
विशिष्ट श्रेणी, कोटा

विषय:-भामाशाह कृषि मंडी समिति राजस्थान (कोटा) के लिये भूमि विस्तार हेतु (Proposal No. FD/RJ/OTHER/20036/2016)

संदर्भ:-1.भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली (FC Division) Proposal No FD.FD/RJ/ OTHER / 20036/ 2016 में चाही गयी एन.ओ.सी. के क्रम में।


2.आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक 881 दिनांक 13-07-2023

श्रीमान जी

उपरोक्त विषयान्तर्गत भामाशाह कृषि मंडी समिति राजस्थान (कोटा) के लिये भूमि विस्तार हेतु कृषि मंडी के समीप 96 है. भूमि के डायवर्जन हेतु आपके कार्यालय द्वारा प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली को भिजवाये गये थे।

इस संदर्भ में 96 है. भूमि का डायवर्जन किया जाना है के मध्य में से गुजरने वाली 132 के.वी. महावीर नगर -देवली (मांझी) लाइन से 220 के.वी. जी.एस.एस. रानपुर पर लाइन इन व लाइन बाहर होने वाली लाइन के सम्बन्ध में भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा एन.ओ.सी. चाही गयी है।

इस सम्बन्ध में गुजरने वाली 132 के.वी. महावीर नगर -देवली (मांझी) लाइन से 220 के.वी. जी.एस.एस. रानपुर पर लाइन इन व लाइन बाहर होने वाली लाइन के पथाधिकार (लाइन के मध्य से 13.5 मीटर दाये व 13.5 मीटर बाये) को छोडकर अन्यत्र जगह पर निर्माण कार्य करने में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को कोई आपत्ति नहीं है।

  
अधीक्षण अभियंता (टी. एंड सी.)  
रा.रा.वि.प्र.नि.लि. कोटा

## कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, कोटा

क्रमांक :- अ.अ./जसख /तक/2023-24/1386-87

दिनांक :- 14/8/23

श्रीमान् सचिव,  
कृषि उपज मण्डी (अनाज),  
विशिष्ट श्रेणी, कोटा

विषय :- LAND FOR EXTENSION OF BHAMASHAH KRISHI MANDI SAMITI  
RAJASTHAN (PROPOSAL NO. FD/RJ/OTHERS/20036/2016)

प्रसंग :- आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 882 दिनांक 13.07.2023 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि एफ.सी. डिवीजन न्यू देहली द्वारा नाले के प्रोटेक्शन के सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा मण्डी समिति को प्रत्यावर्तन के लिये जल संसाधन विभाग की चाही गई अनुशंसा के अनुसार जल संसाधन विभाग द्वारा N.O.C. इस शर्त के आधार पर जारी की जाती है कि अभी वर्तमान में नाले का जो X-Sectional Area है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करके नाले के X-Sectional Area को Protect करने हेतु नाले की पूरी लम्बाई में नाले के दोनों तरफ Protection wall का निर्माण किया जावे, ताकि नाले में पानी के Flow में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

श्रीमान् को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

भवदीय

अधिशाषी अभियन्ता  
जल संसाधन खण्ड कोटा  
दिनांक :-

क्रमांक :- अ.अ./जसख /तक/2023-24/

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता, जल संसाधन बाढ़ सुरक्षा उपखण्ड, कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 51 -  
अधिशाषी अभियन्ता  
जल संसाधन खण्ड कोटा



# कार्यालय तहसीलदार (भू.अभि.) सांगोद जिला कोटा

क्रमांक /भू.अ./2024/101

दिनांक 11/01/2024


श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय,  
सांगोद जिला कोटा।

विषय :- प्रपोजल संख्या FP/RJ/OTHER/20036/2016 के सन्दर्भ में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 19/07/23 को उठाई गई आपत्तियों में बिंदु संख्या 7 (नौनेरा डेम एवं भामाशाह कृषि उपज मंडी कोटा को भूमि आवंटन के बदले वन विभाग को आवंटित भूमि) के संबंध में।  
प्रसंग :- श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा के आदेश क्रमांक :प० () राजस्व/ विविध / 2023 / 2420A दिनांक 07/11/2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि:-

- यह है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय कोटा के पत्रांक 4348-49 दिनांक 08/12/2017 की छाया प्रति के अनुसार सेठ भामाशाह कृषि उपज मंडी समिति (अनाज कोटा) के दक्षिण दिशा की ओर वन विभाग की भूमि में से 74 है. भूमि (ख.न. 74 रकबा 2.12, ख.न. 75 रकबा 3.22 है., ख.न. 78 रकबा 5.18 है., ख.न. 79 रकबा 5.33, ख.न. 80 रकबा 5.43 है., ख.न. 81 रकबा 5.77 है., ख.न. 82 रकबा 2.68 है., ख.न. 83 रकबा 0.73 है., ख.न. 94 रकबा 4.39 है., ख.न. 95 रकबा 1.00 है., ख.न. 100 रकबा 1.94 है., ख.न. 101 रकबा 4.96 है., ख.न. 102 रकबा 0.36 है., ख.न. 106 रकबा 2.74 है., ख.न. 107 रकबा 5.68 है., ख.न. 109 रकबा 2.71 है., ख.न. 110 रकबा 6.55 है., ख.न. 111 रकबा 2.57 है., ख.न. 114 रकबा 6.44 है., ख.न. 474 रकबा 1.28 है. कुल कित्ता 21 रकबा 74 है. ) एवं ग्राम बोरीनाखुर्द ( ख.न. 174 रकबा 22.00 है. ) की 22.00 है. कुल रकबा 96 है. वन भूमि के बदले सिवायचक भूमि वन विभाग को क्षति पूर्ति हेतु स्थानान्तरण /आवंटन किए जाने के संबंध में अनापत्ति /पूर्व स्वीकृति पदान की गयी थी। उक्त अनापत्ति के क्रम में पटवारी हल्का को आदिनांक तक कोई आवंटन आदेश प्राप्त नहीं होना बताया। उक्त ख.न. भूमि वर्तमान में सिवायचक खाता सं. 1 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।
- यह है कि नौनेरा डेम हेतु आवंटित गई वन भूमि के बदले ग्राम गुरायता एवं बोरीनाखुर्द में वन विभाग को आवंटित /हस्तांतरित की गई भूमि बिंदु संख्या 1 में अंकित उपरोक्त ख.न. से भिन्न है। जिसको श्रीमान जिला कलक्टर महोदय कोटा के आदेश क्रमांक प.() राजस्व 3 /नौनेरा /2018/272 दिनांक 01/02/2020 एवं तहसील कार्यालय सांगोद के पत्र क्रमांक भू.अ./21/502 दिनांक 03/02/2021 की पालना में माल ग्राम गुरायता प.म. अमृतकुआ में (105, 117, 130, 131, 133, 134, 17, 171, 175, 176, 177, 187, 190, 191, 210, 211, 212, 214, 264, 314, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 33, 357, 359, 360, 361, 84, 365, 366, 47, 471, 472, 473, 475, 8, 52, 53) कुल कित्ता 43 रकबा 109.26 है. ) का नामांतरण सं. 503 एवं माल ग्राम बोरीनाखुर्द प.म. बोरीनाकला में (ख.न. 311, 220, 390) कुल ख.न. 3 रकबा 91.79 है. ) का नामांतरण सं. 307 से राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के नाम अमल दरामद किया जा चुका है। उक्त आवंटित ख.न. भामाशाह मंडी हेतु प्रस्तावित ख.न. से भिन्न है।
- यह है कि दर्ज आपत्ति बिंदु सं. 7 में ओवर लेपिंग मुताबिक हल्का पटवारी रिपोर्ट नहीं पाई गई। नौनेरा डेम में वन विभाग को क्षति पूर्ति हेतु आवंटित भूमि के ख.न., सेठ भामाशाह कृषि उपज हेतु आवंटन हेतु प्रस्तावित ख.न. से भिन्न है जो उपरोक्तानुसार दर्ज है। हल्का पटवारी द्वारा सेठ भामाशाह कृषि उपज मंडी के संबंध में आवंटन आदेश प्राप्त नहीं होना बताया गया।  
सूचना अभिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।  
संलग्न :- उपरोक्तानुसार

  
तहसीलदार (भू.अभि.) सांगोद

श्री मान तहसीलदार साहब  
तहसील सांगोद

विषय :- जोनेरा डैम एवं आमाशाह डूबि उपल मन्गी  
कोरा को भूमि आवंटन के बदले आवंटित बन सिआ  
आवंटित भूमि की रिपोर्ट के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :- श्री मान तहसीलदार साहब के मौखिक आदेश  
एवं श्री मान जिला कलेक्टर महोदय कोरा के  
फ़ाउ प. ( ) राजस्व / विविध / 2023 / 2420A दिनांक  
7/11/2023 के सलग पत्रों के क्रम में ।

मान्यवर

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन गृहि श्री मान के  
मौखिक आदेश की पालना में उपखण्ड आधीशरी सांगोद  
के कार्यालय से प्राप्त पत्रों के क्रम में ग्राम गुदायला  
एवं ग्राम बोरीनापुर के रिजर्व से लॉन्ग की गई जो  
निम्न प्रकार है -

- ① श्री मान जिला कलेक्टर महोदय कोरा के आदेश पत्र  
क्रमांक 4348-49 दिनांक 8/12/2017 की दायी प्रति के  
अनुसार शेष आमाशाह डूबि उपल मन्गी मापति  
(अनाप कोरा) के दक्षिण दिशा की ओर बन विभाग  
की भूमि में जे 74 हेक्टर भूमि आवंटन के क्रम में  
ग्राम गुदायला तहसील सांगोद में स्थित खन 74 की 2.12,  
75 की 3.22, 76 की 2.92, 78 की 5.18, 79 की 5.33,  
80 की 5.43, 81 की 5.77, 82 की 2.68, 83 की 0.73,

पिन्दारी  
सांगोद



94 की 4.39, 95 की 1.00, 100 की 1.94, 101 की 4.96, 102 की 3.36  
 106 की 2.74, 107 की 5.68, 109 की 2.71, 110 की 6.55, 111 की  
 3.57, 114 की 6.44 एवं 117 की 1.28 हेक्टर कुल किताब  
 2 रुबा 74.00 हेक्टर व ग्राम बोरीनापुर तहसील जोगी के ख.न.  
 174 रुबा 22.00 हेक्टर कुल रुबा 96 हेक्टर अर्ध वन अर्ध  
 के वल्ले सिवायनड अर्ध वन विभाग को सौंपे गए थे स्थानांतरण  
 / आवंटन किए जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति / पूर्व स्वीकृति  
 प्रधान की बायी थी। उक्त अनापत्ति के क्रम में परवर्ती हस्ता  
 को मादिनांड तहसील आवंटन आदेश प्राप्त नहीं हुआ  
 तथा उक्त अर्ध ग्राम गुयायता एवं बोरीनापुर वर्तमान दिनांक  
 में सिवायनड खता नं 1 में राज्य सरकार के नाम दर्जिगि  
 वृद्धि ग्राम गुयायता के ख.न 111 में रुबा 3.57 हे. के  
 स्थान पर न्यायालय आदेश से अन्य खेतपार को दिखाने  
 से वर्तमान में ख.न 1340/111 रुबा 1.27 हेक्टर सिवम गं.  
 रु. खेत खेद पर दर्ज रिजिस्ट्रार वृद्धि पुनः निवेदन वृद्धि कि उक्त  
 अर्ध वन विभाग को हस्तान्तरित किए जाने सम्बन्धित आदेश  
 प्राप्त नहीं होने से अर्ध सिवायनड दर्ज रिजिस्ट्रार वृद्धि

② निवेदन वृद्धि नौनेरा डैम में दि गई वन अर्ध के  
 वल्ले ग्राम गुयायता एवं बोरीनापुर में वन विभाग ने  
 आवंटित / हस्तान्तरित की गई अर्ध बिन्दु संख्या 1 में  
 अंशित उपरोक्त ख.न से ग्रैन वृद्धि सिवम राज्य सरकार  
 में अमल वन विभाग के नाम किया जा चुका है सिवम  
 अंशित आवंटन आदेशों की दायता प्रतियाँ रिपोर्ट के द्वारा राज्य  
 सरकार वृद्धि की मान किया क्लेबटर मधोप कोरा के  
 आदेश क्रमांक प 0 ( 1 ) राजस्व - III / नौनेरा / 2018 / 272  
 दिनांक 01/02/2020 एवं की मान तहसीलदार अर्ध सिवम जोगी

सिवम  
 राज्य सरकार


के पत्र क्रमांक क्र.मं/२१/५०२ दिनांक ०३/०२/२०२१ की पातना में  
 ग्राम गुरायता की अर्षि  $\frac{105}{0.65}$ ,  $\frac{117}{1.40}$ ,  $\frac{130}{4.44}$ ,  $\frac{131}{1.17}$ ,  $\frac{133}{1.88}$ ,  
 $\frac{134}{3.16}$ ,  $\frac{17}{14.96}$ ,  $\frac{171}{1.60}$ ,  $\frac{175}{2.07}$ ,  $\frac{176}{1.80}$ ,  $\frac{177}{1.27}$ ,  $\frac{187}{0.73}$ ,  $\frac{190}{3.97}$ ,  $\frac{191}{1.02}$ ,  
 $\frac{210}{0.77}$ ,  $\frac{211}{2.11}$ ,  $\frac{212}{2.46}$ ,  $\frac{214}{1.39}$ ,  $\frac{264}{4.29}$ ,  $\frac{314}{4.91}$ ,  $\frac{322}{0.25}$ ,  $\frac{323}{1.45}$ ,  
 $\frac{324}{0.44}$ ,  $\frac{325}{1.43}$ ,  $\frac{326}{4.72}$ ,  $\frac{327}{1.65}$ ,  $\frac{328}{1.14}$ ,  $\frac{33}{2.48}$ ,  $\frac{357}{5.87}$ ,  $\frac{359}{0.85}$ ,  $\frac{360}{1.80}$ ,  
 $\frac{361}{0.93}$ ,  $\frac{365}{1.85}$ ,  $\frac{366}{1.33}$ ,  $\frac{47}{1.46}$ ,  $\frac{471}{1.08}$ ,  $\frac{472}{3.19}$ ,  $\frac{473}{1.10}$ ,  $\frac{475}{5.25}$ ,  
 $\frac{8}{6.05}$ ,  $\frac{52}{0.81}$ ,  $\frac{53}{1.46}$ ,  $\frac{8}{6.05}$ ,  $\frac{84}{1.62}$  किला ५३ रकबा १०९.२६ रकबा

नामान्तकालीन सं. ५०३ स्वीकृति दिनांक ०५/०६/२०२१ में वन विभाग  
 के नाम रक्षित जिले इस प्रकार आमाशाह मण्डी हेतु  
 प्रस्तावित कोई रकबा नौनेरा डैम के विस्तृत रक्षित वन  
 विभाग की अर्षि में शामिल नहीं पाया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम बोरीनापुरी प.म. बोरीनाकला की  
 अर्षि रकबा  $\frac{311}{38.50\text{ है.}}$ ,  $\frac{220}{10.70\text{ है.}}$ ,  $\frac{390}{42.59\text{ है.}}$  कुल किला ३/११.७९

है वन अर्षि वन विभाग के नाम रक्षित जिले जो कि  
 आमाशाह मण्डी हेतु स्वीकृति हेतु सलग्न अनापत्ति में  
 अंकित रकबा १७५ रकबा २२ है वन में अर्षि है अतः  
 दोनों ही ग्राम की अर्षि नौनेरा डैम हेतु स्वीकृति  
 में वन विभाग को आवर्तित अर्षि में अर्षि होना पाया  
 गया है।

रिपोर्ट को मान के जमाद लाकर पेश है।

  
 राजेंद्र सिंह  
 पटवारी  
 प.म. ३१२/७२१  
 तहसील जोगी  
 २२/११/२०२१





Kalmandi

# CA LAND

Write a description for your map.

## Legend

 alternate land for bhamashah mandi



CA LAND FOR NAVNERA

Borina Khurd

alternate land for bhamashah mandi

Tarkasya

Google Earth

Image © 2024 Maxar Technologies

Khajoori

2 km

